न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 169/2015 दायरा दिनांक : 05.08.2015

उनवान

हेमराज आयु साल पुत्र श्री देवीलाल, जाति कोली, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री बृजराज सिंह

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 25.01.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 29.06.2015 प्रकरण संख्या 96/2015 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार अटरू के प्रकरण सं0 246/2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.05.2015 से अपीलांट को ग्राम अटरू तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.41 हेक्टर, किस्म गैर मुमकिन नाला भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.06.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार मण्डल अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.2015 की मूल प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार हेमराज पुत्र देवीलाल कोली ने वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज है । जिससे ज्ञात होता है कि अपीलांट पश्चातवर्तीय अतिक्रमी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 25.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा